न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 10 / 2023 (राजसमन्द आर्डर)

1. इन्द्रसिंह पिता स्वर्गीय भूरसिंह जी राजपूत, निवासी झाडसादडी,, तहसील देलवाड़ा जिला राजसमन्द (राज.)
2. शंभूसिंह पिता स्वर्गीय भूरसिंह जी राजपूत, निवासी झाडसादडी,, तहसील देलवाड़ा जिला राजसमन्द (राज.)
3. हरिसिंह पिता स्वर्गीय भूरसिंह जी राजपूत, निवासी झाडसादडी,, तहसील देलवाड़ा जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रवणसिंह पिता स्वर्गीय भूरसिंह जी राजपूत, निवासी झाडसादडी,, तहसील देलवाड़ा जिला राजसमन्द (राज.)
5. कैलाश पिता स्वर्गीय भूरसिंह जी राजपूत, निवासी झाडसादडी,, तहसील देलवाड़ा जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देलवाड़ा जिला राजसमन्द (राज.)
2. तेजसिंह पिता गिरवरसिंह मृतक के बजाय :–

2/1. भैरूसिंह पिता स्वर्गीय तेजसिंह जी राजपूत, निवासी झाडसादडी,, तहसील देलवाड़ा जिला राजसमन्द (राज.)

2/2. भगवतसिंह पिता स्वर्गीय तेजसिंह जी राजपूत, निवासी झाडसादडी,, तहसील देलवाड़ा जिला राजसमन्द (राज.)

2/3. उदयसिंह पिता स्वर्गीय तेजसिंह जी राजपूत, निवासी झाडसादडी,, तहसील देलवाड़ा जिला राजसमन्द (राज.)

2/4. नन्द कुंवर पुत्री स्वर्गीय तेजसिंह जी राजपूत, निवासी झाडसादडी,, तहसील देलवाड़ा जिला राजसमन्द (राज.)

2/5. मीना कुंवर पुत्री स्वर्गीय तेजसिंह जी राजपूत, निवासी झाडसादडी,, तहसील देलवाड़ा जिला राजसमन्द (राज.)

2/6. मगन कुंवर पत्नी स्वर्गीय तेजसिंह जी राजपूत, निवासी झाडसादडी,, तहसील देलवाड़ा जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध नि[illegible]द्वारा दिनांक 02.08.20[illegible] प्र.[illegible]7/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:09:17 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :— 1— श्री गजेन्द्रसिंह अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री मदनलाल टांक अभिभाषक रे. सं. 2

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 16—04—2025</u>

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम झाडसादडी में आराजी नंबर 702, 711, 714, 715, 716 कुल किता 5 रकबा 2.4533 हैक्टर भूमि स्थित होकर प्रार्थी के आधिपत्य की है। इसी ग्राम में आराज़ी नंबर 683 रकबा 1.9855 हैक्टर भूमि किस्म मगरी बीड़ स्थित है, जो विपक्षी के नाम दर्ज है, जिसके सटमा प्रार्थी की आराजी नंबर 716 स्थित है, जिससे उक्त आराजी नंबर 683 से होर प्रार्थी सदीप से आते—जाते हैं, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता होने से आराजी नंबर 683 में से 12 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 02—08—2022 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी नंबर 683 में से 12 फिट चौड़ा रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 08—08—2023 को प्रस्तुत की गयी है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये सम्मन सूचना दिये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल टांक उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्रसिंह उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी अपीलान्ट को प्रथम बार दिनांक 03—07—2023 को तब हुई जब मौके पर रास्ते का नक्शा दर्ज कराने की बात रेस्पोन्डेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:09:17 IST
Reason: SelfAttested

ने बतायी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, ऐसी स्थिति में उन्हें पूर्व में उक्त आदेश की जानकारी होने की कोई साक्ष्य नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि आराजी नंबर 683 के साबिक आराजी नंबर 284 थे, जिसमें से 7 बीघा भूमि अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी को पूर्व सैनिक होने से दिनांक 07–08–1969 को मिसल संख्या 433/69 से आवंटित की गयी। तहसीलदार ने भी प्रकरण संख्या 2596/90 में दिनांक 20–11–1990 से अपीलान्ट का कब्जा माना है। उक्त भूमि के संबंध में अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध वाद संख्या 134/12 प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 को उक्त तथ्य की जानकारी होते हुए भी अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये न्यायालय से तथ्य छुपाते हुए रास्ते का आदेश प्राप्त कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

7. उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं है, फिर भी उनके द्वारा धारा 96 जा.दी. के तहत अनुमति बाबत् कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के आधार पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से आराजी नंबर 683 के एक भाग पर रास्ता दिया गया, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:09:17 IST
Reason: SelfAttested

8. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, फिर भी उनके द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा हेतु धारा 96 जा.दी. का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है। जहां तक रास्ता दिये जाने का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिलानाम आराजी नंबर 683 के एक हिस्से पर मौके रिपोर्ट के आधार पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से 12 फिट चौड़ा रास्ता दिया गया है। अपीलान्ट का घोषणा का दावा विचाराधीन है, जिसमें साक्ष्यों के आधार पर निर्णय होकर कि अपीलान्ट खातेदार है अथवा नहीं। मात्र उनका घोषणा का दावा विचाराधीन होने के आधार पर उनका बिलानाम आराजी नंबर 683 में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय पारित किया है, वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

9. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02–08–2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 16–04–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:09:17 IST
Reason: SelfAttested